90

सं0– /IV(2)-श0वि0–2013–41(सा0)12

प्रेषक,

एम0एच0 खान,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 30 मार्च, 2013

विषय : विशेष योजनागत सहायता के अन्तर्गत नगर निकायों में हाई टैक शौचालयों के निर्माण हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 2114/श0वि0नि0–2012–01(अ0प0)/2013, दिनांक 07.03.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भारत सरकार द्वारा प्राप्त विशेष योजनागत सहायता (SPA) के अन्तर्गत हाईटैक शौचालय के निर्माण हेतु ₹ 1388.60 लाख का आगणन उपलब्ध कराते हुए स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है, जिसके क्रम में उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा गठित डी0पी0आर0 के आधार पर वित्त विभाग की टी0ए0सी0 द्वारा क्रमशः हल्द्वानी की प्रस्तुत डी0पी0आर0 ₹ 62.42 लाख के परीक्षणोंपरान्त ₹ 7.31 लाख अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार तथा ₹ 52.52 लाख निर्माण कार्य हेतु, कुल ₹ 59.83 लाख, देहरादून की प्रस्तुत डी0पी0आर0 ₹ 65.25 लाख के परीक्षणोंपरान्त ₹ 9.85 लाख अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार तथा ₹ 53.71 लाख निर्माण कार्य हेतु, कुल ₹ 63.56 लाख, हरिद्वार की प्रस्तुत डी0पी0आर0 ₹ 65.57 लाख के परीक्षणोंपरान्त ₹ 9.85 लाख अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार तथा ₹ 53.02 लाख निर्माण कार्य हेतु, कुल ₹ 62.87, इस प्रकार कुल ₹ 186.26 लाख की संस्तुति प्रदान की गयी है।

2– अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विशेष योजनागत सहायता (SPA) के अन्तर्गत संलग्नक–1 में उल्लिखित नगर निकायों हेतु हाई टैक शौचालय के निर्माण हेतु कुल **₹ 186.26 लाख (रूपये एक करोड़ छियासी लाख छब्बीस हजार मात्र)** की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में इतनी ही धनराशि व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. उक्त योजना के अन्तर्गत शहरी विकास निदेशालय द्वारा कार्यदायी संस्था को कार्य की प्रगति एवं आवश्यकता के अनुरूप चैक अथवा बैंक ड्राफ्ट् के माध्यम धनराशि हस्तान्तरित की जायेगी।
2. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
3. निर्माण कार्य करने के मध्य तथा बाद में इसकी गुणवत्ता की चेंकिग, किसी तृतीय तकनीकी पक्ष से कराके उसकी रिपोर्ट शासन को प्रेषित किया जायेगा और इसका खर्च योजना की अनुमोदित लागत से ही वहन किया जायेगा।
4. सभी निर्माण कार्य समय–समय पर गुणवत्ता एवं मानको के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेगें तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते है तो सम्बन्धित संस्था को अग्रेत्तर धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी।
5. आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियंता/अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
6. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।
7. मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

8. उक्त धनराशि का दिनांक 31–3–2013 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

9. उपरोक्त धनराशि का पूर्ण उपयोग किये जाने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। जिसके साथ अद्यतन तिथि तक प्राप्त ब्याज की धनराशि को राजकोष में जमा कराते हुए ट्रेजरी चालान की प्रति तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।

10. यह सुनिश्चित किया जाय कि केवल एस0पी0ए0 के अन्तर्गत अनुमोदित स्थानों/नगर निकायों के लिए ही धनराशि आहरित एवं व्यय की जायेगी।

2– उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक के **अनुदान सं0–13**, के लेखाशीर्षक–4217–शहरी विकास–03–छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास–आयोजनागत– 191–स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–03–हाई टैक शौचालयों का निर्माण–24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जाएगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0सं0– 1160/XXVII(2)/2012, दिनांक– 30 मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

4– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(2)/2012, दिनांक 28–03–2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी– S1303130856 के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0एच0 खान)
सचिव।

सं0– 460 (1)/IV(2)-श0वि0–2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड शासन।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
10. प्रशासक/मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून, हरिद्वार, रूड़की, हल्द्वानी–काठगोदाम।
11. अधिशासी अधिकारी, सम्बन्धित नगरपालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तराखण्ड।
12. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।

संलग्नक–1

शासनादेश संख्याः 460 /IV(2)-श0वि0–2013–41(सा0)12, दिनांक 30 मार्च, 2013 का संलग्नक।

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र.सं.	नगर निकाय का नाम	हाई टैक शौचालयों की संख्या	संस्तुत धनराशि
1.	नगर निगम, हल्द्वानी–काठगोदाम	01	59.83
2.	नगर निगम, देहरादून	01	63.56
3.	नगर निगम, हरिद्वार	01	62.87
	योग–	**03**	**186.26**

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।